

राजस्थान-सरकार
वित्त (कर) विभाग

अधिसूचना

जयपुर दिनांक 12.8.11

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 16) की धारा-5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(28)वित्त/कर/2007-155 दिनांक 09.03.07 समय-समय पर यथा संशोधित, में निम्न संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या-21 पर जोधपुर जिले से संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों को निम्न से प्रतिस्थापित किया जावेगा, अर्थात् :-

21	जोधपुर	(i) जोधपुर	तहसील जोधपुर, तहसील बिलाड़ा, उप तहसील बालेसर, तहसील भोपालगढ़, तहसील लूनी, उप तहसील बाप, उप तहसील तिवरी, उप तहसील झंवर
		(ii) औसियां	तहसील औसियां (उप तहसील तिवरी के क्षेत्र को छोड़कर)
		(iii) फलौदी	तहसील फलौदी (उप तहसील बाप के क्षेत्र को छोड़कर)
		(iv) शेरगढ़	तहसील शेरगढ़

(प.2(25)वित्त/कर/2011-38)
राज्यपाल के आदेश से
ह0/-
(डा0 रविकुमार एस.)
शासन उप सचिव

राजस्थान-सरकार
वित्त (कर) विभाग

अधिसूचना

जयपुर दिनांक 12.8.11

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 16) की धारा-6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(28)वित्त/कर/2007-156 दिनांक 09.03.07 समय-समय पर यथा संशोधित, में निम्न संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में जोधपुर उप जिले से संबंधित विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नानुसार प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जावेगी, अर्थात् :-

- | | | |
|-----|-------------------------------|--------|
| 1. | उप रजिस्ट्रार, जोधपुर-प्रथम | जोधपुर |
| 2. | उप रजिस्ट्रार, जोधपुर-द्वितीय | |
| 3. | उप रजिस्ट्रार, जोधपुर-तृतीय | |
| 4. | उप रजिस्ट्रार, जोधपुर-चतुर्थ | |
| 5. | तहसीलदार, बिलाड़ा | |
| 6. | नायब तहसीलदार, बालेसर | |
| 7. | तहसीलदार, भोपालगढ़ | |
| 8. | तहसीलदार, लूनी | |
| 9. | नायब तहसीलदार, बाप | |
| 10. | नायब तहसीलदार, तिवरी | |
| 11. | नायब तहसीलदार, झंवर | |
| 1. | तहसीलदार, औसियां | औसियां |
| 1. | तहसीलदार, फलौदी | फलौदी |
| 1. | तहसीलदार, शेरगढ़ | शेरगढ़ |


(प.2(25)वित्त/कर/2011-39)
राज्यपाल के आदेश से
ह0/-
(डा0 रविकुमार एस.)
शासन उप सचिव

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.
"कर-भवन", अजमेर

क्रमांक: एफ-7(37)जन/10/ 19288 - 19348 दिनांक: 26.8.11

राज्य अधिसूचना क्रमांक प.२ (25) वित्त/कर/11-38, 39 दिनांक 12.8.11 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, (वित्त) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamp.gov.in पर अपलोड हेतु।
4. जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, जोधपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
7. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
8. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
9. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
10. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
11. उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जोधपुर।
12. उप पंजीयक, जोधपुर-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/बिलाड़ा/बालेसर/भोपालगढ़/लूनी/बाप/तिवरी/इंवर/औसियां/फलोदी/शेरगढ़
13. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जोधपुर।
14. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
15. ए.सी.पी, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
16. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
17. निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
18. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।


अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर